

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	---------------------------------	---

किया जाता है। वादग्रस्त भूमि की मीके पर जाकर विभाजन स्कीम तैयार कर इस न्यायालय के प्रिजवाले हेतु तहसीलदार गंगापूर सिटी को ₹ 1000/- पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। विभाजन स्कीम तलवी होकर पत्रावली दि० 14-5-2024 को पेश हो।

14-5-2024 वकील उमयप्रश उप०) विभाजन स्कीम अप्राप्त। तहसीलदार गंगापूर सिटी को लिखा जाकर विभाजन स्कीम चाही जावे। पत्रावली दि० 11-6-2024 को पेश हो।

11-6-2024 वकील उमयप्रश उप०) विभाजन स्कीम अप्राप्त। तहसीलदार गंगापूर सिटी को लिखा जाकर विभाजन स्कीम चाही जावे। पत्रावली दि० 25-6-2024 को पेश हो।

25-6-2024 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी व स्वयं वादी उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी सं० 19 के अभिभाषक उप० है। बार बार आवाज दिलाने पर भी वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः दावा वादी अदम दायरी व अदम पैरवी में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम दो एवं बाट तहसील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
गंगापूर सिटी (राज०)